

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग -दो

सोमवार, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 (कार्तिक 4, 1942)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020

(क्रमांक 29 सन् 2020) का शुद्धि पत्रक।

माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि उनकी ओर से प्रस्तुत छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) के खण्ड -5 में उल्लेखित—

धारा 20—क की उपधारा (5) “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्र. 5 सन् 1898) की धारा 102 तथा 103 के उपबन्ध, यथाशक्य, उप—धारा (4) के अधीन तलाशी के लिये लागू होंगे”

के स्थान पर

(5) “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 100 के उपबन्ध, यथाशक्य, उप—धारा (4) के अधीन तलाशी के लिये लागू होंगे” संशोधित कर पढ़ा जाये।

तदनुसार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) को संशोधित कर पढ़ा जाये।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव.